13.07 hrs.

Title: Discussion on the Judicial Administration Laws (Repeal) Bill, 2000, moved by Shri Arun Jaitley on 22nd February, 2000. (Passed.)

MR. SPEAKER: Now, we take up item no. 10.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SHIPPING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, on the 22nd of February, I had already moved the Judicial Administration Laws (Repeal) Bill, 2000. Sir, I had given the reasons. These are 17 pieces of legislation which are relevant to the administration of justice, and these 17 legislations have now, with the evolution of new legislations, become somewhat irrelevant to the administration of justice. Sir, I had explained that for each one of these legislations. The first one is The Civil Courts Amins Act, 1856. The institution of Amins in civil courts has been long abolished. It is no longer in vogue and therefore, this Bill has become obsolete, redundant and is no longer required to be on the Statute Book. The next is The Bombay High Court (Letters Patent) Act, 1866. This Act was introduced to correct two clerical errors and subsequently by virtue of amendments made in 1948, that no longer serves the purpose.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISKHAPATNAM): Recently, the posts of Amins have been advertised and they are being recruited.

SHRI ARUN JAITLEY: They would not be discharging the functions under this Act.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : They may be discharging some other functions, but Amins are there.

SHRI ARUN JAITLEY: The hon. Member has raised this. The Civil Courts Amins Act, 1856 related to the employment of Amins in the civil courts in the Presidency of Fort William, that is, West Bengal, and in West Bengal, it has already been abolished and therefore, it is no longer in vogue.

The Unclaimed Deposits Act, 1866 and The Unclaimed Deposits Act, 1870 had jurisdiction for Presidency Towns which do not exist any more.

The Acting Judges Act of 1867 has also outlived its utility because now you have Judges and Additional Judges under article 224 of the Constitution.

Then there is The Procedure of the High Court for Uttar Pradesh Act of 1869. There is no High Court of Uttar Pradesh. We have a High court of Allahabad. Similarly, there is The Presidency Magistrates (Court-fees) Act, 1877. There are no Presidency Towns.

The Punjab Courts (Supplementing) Act, 1919 dealt with the jurisdiction of the High court of Lahore. There is The Federal court Act, 1937. The Federal Court ceased to exist in 1950. So, it is no longer relevant. The tenth law is The Federal Court (Enlargement of Jurisdiction) Act, 1947 which is irrelevant. The eleventh law relates to the jurisdiction of the Privy Council, which is no longer applicable to India. The twelfth one is The Rajasthan High Court Ordinance, 1949. Now, we have the High Court under the Constitution and therefore, this ordinance is no longer relevant.

The Bhopal and Vindhya Pradesh (Courts) Act, 1950: The Madhya Pradesh legislations now apply to Vindhya Pradesh region, which was covered by this Act. The Judicial Commissioners' Courts (Declaration as High Courts) Act, 1950 applicable to the Union Territory of Daman and Diu is also no longer relevant because Judicial Commissioners' have been abolished. The fifteenth Act refers to the Mysore High Court (Extension of Jurisdiction to Coorg) Act, 1952, which is also no longer relevant because now we have a High Court at Bangalore in Karnataka; the Mysore High Court does not exist. The Manipur Court-Fees (Amendment and Validation) Act, 1953 has also become redundant. The State Government has conveyed its no objection to the proposal to repeal this Act. The Goa, Daman and Diu Judicial Commissioner's Court (Declaration as High Court) Act, 1964 which has since long been abolished, it is no longer relevant.

These legislations have all become obsolete and are no longer required in the Statute Book. I, therefore, request the hon. House for repealing the same.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I have to discuss about this Judicial Administration Laws (Repeal) Bill in another context. I have been practising for about 40 years. In the long period, my experience is that there is one Act which has become obsolete and which has to be repealed; and a new Act has to be brought about. I am referring to the Contempt of Court Act. We are speaking about judicial administration. Therefore, I say that the judicial administration must be transparent. The transparency of the judicial administration may not be maintained with the present Contempt of Court Act. It is giving the judiciary a blanket protection. It is unsuited to democratic traditions. It was passed and implemented during the colonial regime, and the colonial judges were more or less

acting under the colonial masters.

I request the hon. Minister that he must give a thought to this matter. We as advocates find it very difficult to argue certain cases and make some observations about the judgment because of this Act. This is interpreted in a way to suit the convenience of the judges. I would agree that personal allegations should not be made, but the 'Contempt of Court' is applicable even to cases where there is no personal allegation. If anyone criticises the way in which a judge has delivered, the judges will say that it is a Contempt of Court, and they have been given very high discretionary powers. The citizen is not empowered to make observations or to criticise the judgment of a Court. Is it democracy? We should have the opportunity to criticise the judgment under certain parameters. We will have to make some guidelines in the Act itself. There are no guidelines in the present Act, and it totally bans criticism. This is one thing.

We are speaking about judicial administration. The hon. Minister is also a practising lawyer. I know that he is a very good practising lawyer; I am prepared to give him that certificate. Judicial administration will become transparent, if you make the judiciary accountable. Now, the Legislature is accountable, and the executive is accountable to the Legislature. The Members of Parliament are accountable to the people at large, but the judiciary is not accountable to anybody. There is no judicial accountability in India. After all, we have the bitter experience of the Ramaswamy impeachment, which was a cumbersome procedure and which never took effect. The only provision in the Constitution is the impeachment of the judges of the High Courts and the Supreme Court, but that will never materialise. That is our bitter experience. Therefore, I would suggest that the hon. Minister who is dealing with law should take the initiative of bringing a legislation making the judiciary accountable.

We are accountable. The Members of Parliament have been made accountable by certain Acts. The Ministers are accountable. But to whom are the judges accountable? Can you say that the Judiciary is free from corruption? I think, no sensible man would make a claim in India that Judiciary is not amenable to corruption. But we cannot say as to how far the Judiciary is corrupt. I cannot say that. I can say this only in this House. If I say that some judge is corrupt, then I would be booked under the Contempt of Court Act. I cannot say that even if I have conclusive proof that a particular judge has delivered a judgement under a corrupt motive. I cannot say that. The citizens of this country should get the right to make a comment about judicial actions. Otherwise, what is the meaning of parliamentary democracy? So, I would like to request the hon. Minister to think over these facts and bring in a suitable legislation. In the absence of that, how could one say that the judicial administration is effective in our land?

Sir, recently there was an attempt by the Supreme Court of India to make arrangements for in-camera proceedings.

MR. SPEAKER: Shri Radhakrishnan, this is only a repeal Bill.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, I am dealing with a very important subject and I may be allowed two to three minutes.

MR. SPEAKER: This is only a repeal Bill.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, I would not repeat things.

Sir, I was submitting that recently the Supreme Court has made a declaration that they would look into important matters and for that purpose they have themselves framed certain rules for holding proceedings in-house. Now, there is a case pending before the Supreme Court regarding the corruption of the Chief Justice of India. The former Law Minister had made certain serious allegations about it. But, who has to decide it? There is no machinery. In-house proceedings are being followed. Even the judges of the Supreme Court could take a final decision in the matter. So, there are instances where the highest Judicial body of the country is amenable to irregularities and amenable to corruption. But there is no remedy. By merely saying that we would look into the matter by in-house proceedings is of no avail.

Sir, so I would like to request my friend, the hon. Law Minister to proceed in this matter. The entire legal community would be with him. I would request him to bring in a legislation making the Judiciary accountable. We have three pillars in our democracy. Why should one important pillar of democracy be left out? It so happened because the procedure adopted in our Constitution was most impracticable. This happens more so at the higher judicial levels and not at the lower judicial levels. There is no provision for it.

Sir, the next point that I would like the hon. Minister to bear in mind is that he should also bring in a legislation to make the Contempt of Court Act suitable to the present day situation. Otherwise, no fair criticism would ever come. The hon. Minister is doing a very good job by way of removing the 70 statutes that have become obsolete and have outlived their utility. I would also like him to take a bold action in regard to removing the Contempt of Court Act from the statute book and bring in a new Contempt of Court Act giving powers to the citizens to criticise the Judiciary within certain limits by providing for some guidelines for it within the Act itself.

Sir, I am sorry to state that this matter was not referred to the Commission for Judicial Reforms. Had it been referred to them, they would have certainly given a report on it. I am sure, the Government did not refer this matter to this Commission. I would like to request the hon. Minister to set up a Commission to review the Contempt of Court Act and then bring in a suitable legislation for it. The entire legal community would applaud his efforts.

Sir, with these words, I support the Bill.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक, 2000 का पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में इस जनतांत्रिक एन.डी.ए. की सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने पिछले कई वर्षों से जो अधिनियम बेकार थे, आउटडेटेड थे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी, जिनका प्रयोजन कुछ नहीं था, जो प्रचलित नहीं रह गए थे और जिनकी कोई सामाजिक या न्यायिक दृटि से उपयोगिता नहीं थी, उन सारे कानूनों को छांट कर, गतिशील व्यक्तित्व के धनी माननीय जेटली साहब ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। जो 17 एक्ट हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई, वह उनका निरसन करने के लिए विधेयक लाए हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। कानून के पोथे वैसे ही बहुत बढ़ जाते हैं, कानून में जो निरर्थक हैं, उनको समय के अनुसार हटा दिया जाए। आज आई.पी.सी. में कुछ संशोधन होने चाहिए, सी.आर.पी.सी. में कुछ संशोधन होने चाहिए क्योंकि नाना प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, समाज की परिस्थितियां बहुत जटिल हो गई हैं। ऐसी स्थिति में उन परिवर्तनों को भी यह सरकार अवश्य लाएगी। 8 मई, 1998 को केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासनिक ि वधि पुनर्वलोकन आयोग गठित किया गया था। उस समीक्षा आयोग ने जितने भी ज्यूडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी कानून थे, उनका भली प्रकार राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित सभी विभागों से मिल कर निरीक्षण, विचार-विमर्श किया और उसके बाद उस आयोग ने यह अभिशंसा की कि ये कानून अब प्रयोजनरहित हैं, इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, अप्रचलित हैं इसलिए इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार यह बिल लाई है। मैं इसका समर्थन करता हूं और इसके साथ केवल एक बात और कहना चाहूंगा कि न्यायिक सुधार अत्यन्त आवश्यक है।

1322 बजे (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

आज लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों में संतुलन होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक पलड़ा ज्यादा भारी हो जाता है तो दूसरे पलड़ों में असन्तुलन पैदा हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ज्यूडीशियरी हो, लैजिसलेटिव हो या ऐग्ज़ीक्यूटिव हो, तीनों में सन्तुलन होना अत्यन्त आवश्यक है। न्यायिक आयोग का जो गठन किया जाने वाला है, वह शीघ्र किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायिक सुधार अत्यन्त आवश्यक है। आज देश में मुकदमों की संख्या काफी बढ़ गई है, तीन करोड मुकदमे लम्बित पड़े हैं। कई न्यायालयों में स्थान रिक्त पड़े हैं। उच्च न्यायालयों में जजों के स्थान रिक्त पड़े हैं, स र्वोच्च न्यायालयों में स्थान रिक्त पड़े हैं। उन सारे मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए जनता को, जनता की भाा में सस्ता और सुलभ न्याय दिलवाने के लिए न्यायिक आयोग का गठन अत्यन्त आवश्यक है, यह मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा लाए गए इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और समझता हूं कि जिन कानूनों की उपयोगिता समाप्त हो गई है, उनका निरसन आवश्यक है। धन्यवाद।

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Mr. Chairman, Sir, we support the repeal of these seventeen obsolete enactments. At the same time, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that judicial reforms in the country are long overdue. The law is so complicated today that justice is not dispensed to the common people. Common people are ignorant of the laws and the law is so complicated that unless they hire a competent advocate, they cannot get through the procedures of the law. The situation in the country today is very a very sad one. Besides this, to get justice one has to travel long distances from District Court to the High Court and then again to the Supreme Court. Even in trivial matters, Special Leave Petitions are being filed. If anybody wants to harass an honest man, he can obtain a Special Leave and proceed up to the Supreme Court.

I fully agree with Shri Varkala Radhakrishnan on the point of contempt of court. This issue has become so vexatious that if anybody makes remarks adverse to judiciary, he is immediately taken to the court of law.

It has also to be clearly stated that suitable enactment will be brought about to make it more transparent in the matters of this contempt of court. I have seen the hon. Minister or somebody else speaking that there is an imminent need to establish one or more benches of the Supreme Court. It is a welcome sign. Our country is so vast and one has to travel right from Trivandrum or from Kanyakumari or Kashmir for going to the Supreme Court. Everybody should have to go to the Supreme Court. But how is it possible for the common people? The moneyed man can always file a special petition and book the case in the Supreme Court and he can attend. But what about the common people?

This is not the case in so many other countries. They have been allowed benches elsewhere also. Similarly, in our country also, we should have benches of Supreme Court at several places.

Sir, we have today, a very competent and knowledgeable Law Minister. It is high time that he should think of it immediately to have the benches of Supreme Court, at least, at four places -- West, East, South and North, and like that. In this case, I hope, the central place is Hyderabad. So, I am confident that the hon. Minister would think of putting up a bench of Supreme Court at Hyderabad also at the earliest so that the common people will get justice.

With these words, I support this Repeal Bill..

सभापति महोदय : यह रिपील बिल है, इसलिए थोड़ा ब्रीफ में ही बोल लीजिए, और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, रिपील बिल पर ही बता रहे हैं।â€¦(व्यवधान) कुछ लोगों को कितना ही जोर से बोलें अगर नहीं सुनाई देगा तो इसका क्या इलाज है, यह बताइये।

कानून मंत्री होशियार आदमी हैं, पेचपाच लगाकर पुराने कानून मंत्री को, जो इनसे ज्यादा पुराने और काबिल थे, उनको तो हटवा दिया और खुद मंत्री बन गये। सन् 1998 में जब आप राज में थे तो संयुक्त मोर्चा की सरकार ने जैन कमीशन बिठाया था और यश रासा सिंह रावत जी लूट रहे हैं, इन्हीं को धन्यवाद दे रहे हैं, होशियार आदमी हैं, काम कोई करे और यश कोई ले। लेकिन जैन कमीशन ने कहा था कि 2500 कानूनों में से 1300 कानून जाखरी कानून हैं, इनको खत्म होना चाहिए। इनको एक बिल लाकर आप खत्म करिये। ज्यूडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन को आप पीसमील में ला रहे हैं, 17 कानूनों को आप एक बार लाये हैं, यह ठीक है, लेकिन 1300 कानूनों का इनके पास हिसाब नहीं है। भारत सरकार के कानून मंत्री को कानून का हिसाब-किताब पता नहीं है, यह मेरा आरोप है। 1300 कानूनों को एक बार में खत्म करना था, लेकिन कभी एक कानून, कभी दो कानून और इस बार 17 कानून खत्म करने के लिए लाये हैं। आप जानते हैं कि 2500 कानून तो सैण्टर के हैं और देश भर के राज्यों के कानून और जोड़े जायें तो 25,000 कानून हैं। 700-800 से कम हर राज्य में कानून नहीं हैं, अब बताया जाये कि जहां 25,000 कानून हैं, वहां क्या होगा। आप होशियार मंत्री हैं, आप कानूनों के खाली नाम ही बता दें। कानून को कानूनविद ही नहीं जानेंगे, देश का कोई काबिल आदमी नहीं जानेगा तो कानून की बात कौन जानेगा।

"Ignorance of law is no excuse."

कानून कोई नहीं जानेगा तो उसके लिए माफी नहीं है, यह किसका कसूर है। अंग्रेजी सल्तनत कानून बनाती थी और गजट में छाप देती थी तो मान लिया कि देश भर के लोग कानून को जान गये। पूरे हिन्दुस्तान के कानून यहां हम लोग बनाते हैं, रद्द करते हैं, लेकिन ये भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। ये कानून को गजट में छाप देंगे और गजट में नोटिफिकेशन हो गया तो मान लिया कि देश की 100 करोड़ की आबादी कानून जान गई। कोई मल्होत्रा ब्रदर्स उसकी किताब छापेगा। उस कानून की जरूरत होगी, कोई मुवक्किल पहुंचेगा, तब वकील साहब उस कानून की किताब को मंगाकर पढ़ेंगे, तब जानेंगे। वकीलों का यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। ज्यूडीशियरी में एक ही मान्यता है कि कोर्ट कानून नहीं जानती है और जो न्यायाधीश उसमें बैठते हैं, माना गया है कि वे कानून नहीं जानते हैं। दोनों पक्षों के वकील कानून को समझाकर उनके मगज में घुसाएंगे,

तब वे कानून जानेंगे और फैसला देंगे। लेकिन आम जनता जो अनपढ़ है, कम पढ़ी-लिखी है, मान लीजिए कि वह कम कानून जानती है, 'Ignorance of law is no excuse.' कानून नहीं जानने से माफी नहीं है। इतना गलत कानून चल रहा है, क्या हम इसे सही कानून का राज कह सकते हैं, नहीं कह सकते। फिर भी लोग कानून नहीं जानते, लेकिन उनको दंड दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका स्थाई समाधान हो। वकालत का पेशा कंजरवेटिव होता है, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। ये लोग देखते हैं कि दस-बीस बरस पहले किस कोर्ट ने फैसला दिया, फिर उसको कोर्ट में दिखा देते हैं। आगे सोचने की जरूर ही महसूस नहीं करते कि दुनिया कितनी प्रगतिशील है और कितनी परिवर्तनशील भी हो रही है। दस-बीस बरस पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये लोग दिखाकर वैसा फैसला करा लेते हैं, लेकिन आगे की बात नहीं सोचते कि सामाजिक परिवर्तन क्या हो रहा है। इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। कितने ही कानून संसद में पास हुए,लेकिन वे लागू नहीं हुए। लोक सभा पास कर देती है, लेकिन सवाल का जवाब देते समय मंत्री जी यहीं खड़े होकर कहते हैं कि हम पता लगा रहे हैं। अब ज्यूडिशरी के लोग बोल रहे हैं कि ज्यूडिशरी में सुधार होना चाहिए। आप देखें देश में कितने मुकदमें लम्बित हैं।

श्री अरूण जेटली : तीन करोड़।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : तीन करोड़ नहीं, पौने चार करोड़ के करीब मुकदमें देश भर की अदालतों में लम्बित हैं। कई मुकदमें तो पाच, दस और 15 बरस से लम्बित हैं। कहते हैं कि 'Justice delayed is justice denied.' इस तरह से न्याय में देरी होगी तो आम जनता को, गरीब आदमी को जो कम पढ़ा-लिखा है, उसको कैसे न्याय मिलेगा। इसीलिए जो अंग्रेजी सल्तनत के कानून हम ढो रहे हैं, उनको बदला जाना चाहिए। कई कानून तो 100 ई. और 1700 ई. के हैं इसलिए इनको समाप्त करो। आप 1300 ऐसे कानूनों में से सिर्फ 17 को खत्म करने के लिए यह विधेयक लाए हैं। इस तरह तो बहुत बरस लग जाएंगे। जैन आयोग ने कहा है कि इन सारे कानूनों को एक कलम से खत्म करना है। ये कानून बहुत पहले समय के हैं, इनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए कानून विभाग चुस्त-दुरुस्त काम करे। अभी

एक सदस्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बैंच दक्षिण में भी होनी चाहिए। यह सही बात है, क्योंकि इतनी दूर से यहां आने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए इस पर भी विचार होना चाहिए। जो जजों की जगहें खाली हैं, उस पर भी विचार होना चाहिए। जो वकील लाखों रुपए की फीस लेते हैं, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। न्याय सुलभ और सस्ता होना चाहिए, जिससे आम आदमी को मिल सके। इस तरह के ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्स होने चाहिए, जिससे गरीब जनता को न्याय मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पास करने का समर्थन करता हूं और अपनी बात कहता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, मंत्री जी द्वारा जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत अच्छा कदम है। मैं न्याय प्रशासन और दूसरे विवेक, इन दो बातों की तरफ सदन का ध्यान आकृट करना चाहता हूं। विवेक की परिभाषा क्या है? हम कहना चाहेंगे कि विवेक से तो सारे लोग काम करते हैं चाहे वे कार्यपालिका के हों, न्यायपालिका के हों या चाहे संसदीय प्रणाली में काम करने वाले लोग हों। हरेक का अपना-अपना विवेक है और सब लोग अपने विवेक से काम करते हैं लेकिन सभी के विवेक पर कहीं न कहीं अंकुश है और विवेक से काम करने के बाद उस पर टीका-टिप्पणी, उस पर आपत्ति करने का अधिकार है। लेकिन न्यायपालिका के लोग जो विवेक से काम करते हैं, हम यह कहें कि वे विवेक का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं लेकिन हमें एक ऐसा उदाहरण मिला है कि हम यह कहेंगे वे अपने विवेक का दुरुपयोग भी करते हैं लेकिन हम उस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकते, हम उस पर चर्चा भी नहीं कर सकते, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। छोटी कोर्ट से अगर कोई निर्णय हो जाता है और बड़ा कोर्ट यदि उसे गलत मानता है और उस निर्णय को बदल देता है तो छोटी अदालत पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आप सरकार में रहे हैं, यहां सारे लोग बैठे हैं, लेकिन यदि सरकार में काम करने वाला कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उस विवेक पर भी न्यायपालिका अपने विवेक का प्रयोग करके कुछ न कुछ निर्णय देने के लिए सक्षम हो जाती है। उदाहरण इसी सदन में सतीश शर्मा जी का है। वह कभी मंत्री हुआ करते थे और विवेकाधीन कोटे के अन्तर्गत उन्होंने कुछ पैट्रोल पम्प वगैरह का आबंटन किया था। वह उनका विवेकाधीन कोटा था और उस पर न्यायपालिका से जुर्माना हुआ। आखिर विवेकाधीन कोटे की परिभाषा क्या होगी? आज हमें विवेकाधीन कोटे में सांसद की वजह से दो करोड़ रुपये अपनी कांस्टीट्यूएंसी में खर्च करने के लिए मिलते हैं। हम अपने विवेक से उस रुपये का उपयोग करते हैं। कल कोई न्यायपालिका में जाये कि वहां बड़ी गड़बड़ी हुई है और न्यायपालिका उस पर कार्यवाही करे तो फिर विवेक का अर्थ क्या है? यदि हमारे विवेक का अर्थ है, मंत्री के विवेक का कोई अर्थ है तो हम यह कहेंगे कि न्यायपालिका के विवेक पर समीक्षा के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

जो लोग इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं और उनके विवेक का मतलब सब कुछ सही होता है, यह हम नहीं मानते हैं। जो इतनी गड़बड़ी होती है, माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री प्रभाशंकर मिश्र जी ने इसलिए इस्तीफा कर दिया कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। यदि इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले लोग न्यायपालिका के लिए यह कहते हों कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है और वे इस्तीफा करने के लिए बाध्य हैं तो फिर उसमें कौन सा सुधार करने के लिए आप कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं? इसलिए हम आपके माध्यम से कहेंगे कि इस पर और भ्रटाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उधर जजमेंट दिया और पांच दिन के बाद वह राज्य सभा के मेम्बर बन गये हैं। इससे क्या भ्रटाचार की बू नहीं मिलती? किसी न किसी व्यक्ति के विवेक के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हो और फिर दो-चार दिन के बाद राज्य सभा में उसका मेम्बर बनकर आना, इससे बड़ा और क्या भ्रटाचार का प्रमाण होगा? मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि जो आईएएस होते हैं, उनको न्यायपालिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। हमारे बिहार के दो आईएएस को एडीजे की कोर्ट में ट्रेनिंग के लिए गये हुए थे कि जाइए, आप कुछ सीखिये। उनमें एक महिला भी थी। वह वहां बैठी हुई थी। कोई व्यक्ति वहां आया और 100 रुपये का एक नोट पेशकार को दिया क्योंकि वह कुछ कागज लेना चाहता था। वह नहीं जानती थी कि पेशकार को ऐसे लिया दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अरे, यह क्या हो रहा है? जज साहब भी थे। वह वकील से कुछ पूछ रहे थे, वह नहीं सुन रहे थे। जब उस महिला ने दुबारा टोका तब जज साहब ने कहा कि यह न्यायपालिका की प्रक्रिया है, इस पर बोला नहीं जाता है, गवाही चल रही है, आप सुनते रहिए और देखते रहिए कि क्या हो रहा है। जो ऊंची कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनके नीचे 100 रुपये का नोट दिया जा रहा है और इसे न्यायपालिका की प्रक्रिया कहते हैं और जिन आईएएस और आईपीएस लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, वे वही ट्रेनिंग लेते हैं कि किस तरह से सौ रुपये का नोट लिया जाता है, यह व्यवस्था है। अगर इन सब चीजों पर कहीं न कहीं से व्यवस्था नहीं करेंगे तो कानून तो आप बना ही देंगे और बनाते हैं लेकिन इस कानून के साथ आप इसे लागू करने की प्रक्रिया कितने सही ढंग से इसे लागू करते हैं और इसे कितना आप जनता के हित में करते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसका रिपील बिल है। राज्य सभा से पास हो गया है। हमारे पास और भी बिल हैं। पांच और बिल हैं। आप संक्षेप में बोलकर कंक्लूड करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : माननीय मंत्री जी, हम चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि निचले स्तर के लोग कानून का लाभ उठा सकें और सस्ते कानून की सुविधा होनी चाहिए । रघुवंश प्रसाद सिंह जी ठीक कह रहे थे कि कानून आज बहुत महंगा हो गया है । भगवान न करे, कभी किसी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। एक बार हमें रघुवंश प्रसाद जी के चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था । कानून काफी महंगा है । अरुण जेटली जी को तो कभी मौका नहीं मिला है, लेकिन व्यक्ति जब वकील के पास जाते हैं, तो वे कोर्ट में जाने से पहले नकद गिनवाकर जाते हैं। मेरे विचार से इन लोगों की फीस निर्धारित होनी चाहिए। अगर फीस निर्धारित नहीं की जाएगी, तो देहातों में जो रहने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते-आते उनका घर बिक जाएगा। वे हक के लिए आते हैं, वे न्याय के लिए आते हैं, लेकिन हक इतना मंहगा पड़ता है कि उनके पास जो हक है, वह भी समाप्त हो जाता है। मेरे विचार से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जजों के पैंडिंग पदों की नियुक्तियों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । आजकल जनहित याचिका की चर्चा रोज चल रही है । इस पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए । देश में बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं, लेकिन उन पर जजों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उन मामलों का कैसे निपटारा किया जाए । रोड बनवानी हैं, तो हाई कोर्ट के जज बनवायेंगे । नाले की सफाई करनी है, तो हाईकोर्ट के जज करायेंगे। सड़कों पर से गाय-भैंसे हटवानी हैं, तो हाईकोर्ट के जज हटवायेंगे। होता सिर्फ यह है कि अखाबारों में उनका नाम छप जाता है और टीवी पर उनका चेहरा आ जाता है । â€¦(व्यवधान) दिल्ली में कम से कम 1400-1500 लोग बेरोजगार हो गए हैं । हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती की है और इस कार्य से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं। *

उन लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लेकिन रोजी-रोटी देने का उनको अधिकार नहीं है। इसलिए हम आपसे कहेंगें â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : *â€¦(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : * इस कदम के चलते काफी लोग बेरोजगार हुए हैं। रोजगार हम नहीं दे सकते हैं, तो बेरोजगार करने का भी हमको अधिकार नहीं बनता है । *

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

* Expunged as ordered by the Chair.

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, प्रोसीडिंग्स में कोर्ट का नाम हटा दिया जाए । एसपर्शन-टु-दि-जुडिशियरी प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगा। यह नियमावली में है।

सभापति महोदय : कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी ।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, न्यापालिका भी महत्वपूर्ण प्रशासन का अंग है। किसी कलैक्टर ने गलती की, तो ध्यान दिया है । किसी बीडीओ ने गलती की, तो ध्यान दिया है, लेकिन अगर कोर्ट ने गलती की, तो अपील हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट तक हो जाती है । मेरी सरकार से विनती है कि न्यायपालिका में न्याय सस्ता मिलना चाहिए और समयबद्ध मिलना चाहिए ।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : महोदय, कानून मंत्री, श्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक, 2000 का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं ।

महोदय, मैं कुछ सुझाव सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं । पूरे भारत में तीन करोड़ केसेज पैंडिंग हैं । मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं । मैं शिक्षक हूं और मुझे तनख्वाह लेने के लिए 27 साल लगे । इसी प्रकार से मिश्रा जी नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनको 29 साल लगे हैं। मेरा सुझाव यह है कि न्याय मिलने की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।

हमारा निवेदन है कि हर तालुका में एक कोर्ट बने। मेरे क्षेत्र में 16 तालुका हैं और सिर्फ छ: कोर्ट हैं।

â€¦(व्यवधान) अगर हर तालुका में कोर्ट हो तो अच्छा रहेगा, यही मेरा सुझाव है।

SHRI ARUN JAITELY: Sir, several very valuable suggestions have been made not in relation to these 17 legislations which are sought to be repealed but with regard to certain other matters of public interest. I may inform the hon. Member that there were 1323 Acts which were recommended to be repealed. Each Department of the

Government is going through each of those legislations. Various comments have to be invited from the concerned departments and the State Governments in some cases. A large number of them have already been repealed and the process with regard to repeal of several of them is already on.

One of the important questions which was asked particularly by Shri Radhakrishnan was with regard to the contempt of court. This issue has been examined several times in the past. It is not a very accurate understanding of the Act to suggest that a judgement of a court either under this Act or because of this Act cannot be criticised. Justice itself is not such a cloister virtue that it cannot be commented upon. The only restriction that the Act imposes is not on criticism, not on adverse comment or judgement but against imputation of motivation. The collateral reason for somebody alleging a judgement has been given. Criticism of a court or criticism of a judgement under the Contempt of Courts Act is not barred. Therefore, the question arises, with regard to other areas what the accountability mechanism would be. The subordinate judiciary which is under the administrative control of the High Courts is certainly accountable for all matters that you mention to the High Courts.

The second question which arises in the context of the higher judiciary is, is there an accountability mechanism or in-house accountability mechanism. I had stated last week in the other House also that almost all political parties in their election manifestos have mentioned with regard to the creation of a National Judicial Commission. There are areas of discussion which are required with regard to its jurisdiction, with regard to its composition. If a consensus on that legislation is found, this may answer some of the questions which you have raised in the course of your suggestions.

There are other areas with regard to judicial reforms, etc. which have been made by several Members. The Government has prepared a concerted method or a plan both with regard to compressing the time taken by courts in terms of compressing the various procedures. As far as the civil law procedures are concerned, the law has already been introduced in parliament. It is before the Standing Committee. The Government has also set up a group of experts which is examining compressing procedural law in criminal law and once that report is received, we will certainly place our suggestions before the hon. House.

With regard to substantive legislations, we are also bringing about amendments with regard to several number of them, particularly with regard to those where a lot of cases are pending. I am sure in this Session and in the Sessions to come, a large number of these legislations also would certainly be amended in order to compress the time framework which is taken in order to resolve those legislations.

A very important point which was made was with regard to, access to justice being made cheaper. जो लोग न्यायपालिका में जाना चाहते हैं, उन्हें सस्ता न्याय मिल पाए, यह सुझाव दिया। इसके संबंध में नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथोरिटी एक्ट है, जिसके तहत लीगल एड और लोक अदालत का प्रावधान किया गया है। उसे फंड्स भी काफी दिए गए हैं और उस कानून में संशोधन भी किया गया है ताकि इसका लाभ ऐसे लोगों को ज्यादा मिल पाए।

जो लोग खर्च नहीं कर पाते हैं, मुकदमें के दौरान ऐसा लगता है और कानून तक पहुंचने में उनको सहायता पहुंच पाए, सरकार इस पर भी विचार कर रही है। सभापति जी, ये जो 17 एक्ट हैं, ये एकदम पुराने हो चुके हैं और इनको कानून की पुस्तक में बने रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए इनको रिपील करने की सदन अनुमति दे।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to repeal the Civil Courts Amins Act, 1856 and certain other enactments, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will nowtake up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1 Short title

Amendment made:

> *Page 1, line 4,-*

for "2000"

substitute "2001" (2) (Shri Arun Jaitley)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Fifty-first"

substitute "Fifty-second" (1) (Shri Arun Jaitley)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.